Section 133 : Liability of officers and certain other persons

(1) Where any person engaged in connection with the collection of statistics under section 151 or compilation or computerisation thereof or if any officer of central tax having access to information specified under sub-section (1) of section 150, or if any person engaged in connection with the provision of service on the common portal or the agent of common portal, wilfully discloses any information or the contents of any return furnished under this Act or rules made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for the purposes of prosecution for an offence under this Act or under any other Act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

(2) Any person—

(a) who is a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Government;

(b) who is not a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

धारा 133 : अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन आंकड़ों के संग्रहण या समेकन या उनके कम्प्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच रखने वाला केन्द्रीय कर कोई अधिकारी या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता स्वैच्छिक रूप से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत किसी विवरणी के अंश या अंतर्वस्तु को उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के सिवाय प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,–

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा।